**छात्र वैकल्पिक परिवहन फॉर्म**

परिसर से बाहर जिला प्रायोजित गतिविधियों, जिसमें अभ्यास, खेल, बैठकें, प्रतियोगिताएं एवं सम्मेलन (‘‘घटनाएं’’) शामिल हैं किंतु ये इतने तक ही सीमित नहीं है, में भाग लेने वाले छात्रों से स्कूल की बसों में या जिला विनिर्दिष्ट परिवहन के अन्य माध्यमों से यात्रा करने की अपेक्षा है। विशेष परिस्थितियों में, जिले के पूर्व लिखित अनुमोदन से, छात्रों को (क) माता-पिता/अभिभावक या अन्य विनिर्दिष्ट प्रौढ़ द्वारा कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया एवं वहां से लाया जा सकता है, या (ख) वे स्वयं वहां पहुंच सकते हैं तथा वहां से वापस आ सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में छात्रों को किसी अन्य छात्र या 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले वाहन से नहीं पहुंचाया जा सकता।

जिले द्वारा वैकल्पिक परिवहन के अनुरोध को मंजूर किए जाने से पूर्व, छात्र, छात्र के माता-पिता/कानूनी अभिभावक, एवं कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करने वाले जिला कर्मचारी द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह छात्र वैकल्पिक परिवहन फॉर्म स्कूल के कार्यालय में अवश्य जमा किया जाए। स्कूल के कार्यालय द्वारा छात्र वैकल्पिक परिवहन फॉर्म स्वीकार एवं अनुमोदित किए जाने से पूर्व, छात्र को लाने/ले जाने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वीकार्य (क) वैयक्तिक आटोमोबाइल के प्रयोग का फॉर्म (माता-पिता/अभिभावकों/विनिर्दिष्ट प्रौढ़ों के लिए) या (ख) छात्र द्वारा वैयक्तिक आटोमोबाइल के प्रयोग का फॉर्म (यदि छात्र का इरादा स्वयं गाड़ी चलाकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने का है) भी अवश्य पूरा करे तथा स्कूल के कार्यालय में जमा करे।

यदि अपेक्षित फॉर्म जमा नहीं किए जाते हैं तथा कार्यक्रम से 48-घण्टे पहले स्कूल के कार्यालय द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाते हैं, तो छात्र को जिला प्रायोजित सामान्य विधियों से कार्यक्रम स्थल तक अवश्य पहुंचाया जाना चाहिए तथा वहां से लाया जाना चाहिए। इन प्रावधानों का पालन न करने वाले छात्र को कार्यक्रम में उपस्थित होने या भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

|  |  |
| --- | --- |
| छात्र का नाम: |  |
| कार्यक्रम: प्रत्येक अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों की श्रृंखला को अवश्य सूचीबद्ध किया जाए: |  |
| तिथि (तिथियां): |  |
| अनुरोध का कारण: |  |
| विनिर्दिष्ट ड्राइवर (ड्राइवरों) का/के नाम: छात्र और/या विनिर्दिष्ट प्रौढ़ |  |

मैं सहमत हूँ/हम सहमत हैं कि विनिर्दिष्ट ड्राइवर तथा प्रयोग किए जाने वाले वाहन जिले के आटोमोबाइल देयता कवरेज के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। छात्र, उसका/उसके माता-पिता/अभिभावक, और/या वाहन का ड्राइवर दूसरों को क्षति या चोट के लिए अकेले जिम्मेदार हैं। मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि छात्र एवं वाहन में सवार कोई अन्य व्यक्ति वैकल्पिक परिवहन की इस पसंद से उत्पन्न नुकसान, चोट या मृत्यु के लिए स्वयं जिम्मेदार है। छात्र, उसका/उसके माता-पिता/कानूनी अभिभावक, और/या वाहन चालक इस वैकल्पिक परिवहन से उत्पन्न किसी देयता से जिला एवं इसके अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को मुक्त रखने के लिए भी सहमत हैं, तथा किसी परिणामी दावे के विरूद्ध उनकी प्रतिरक्षा करने एवं क्षतिपूर्ति करने के लिए भी सहमत हैं।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| **छात्र का स्पष्ट नाम** | **हस्ताक्षर** | | **तारीख** |
|  |  | |  |
| **माता-पिता/अभिभावक का स्पष्ट नाम** | **हस्ताक्षर** | | **तारीख** |
|  |  | |  |
| **पर्यवेक्षण कर्मचारी का स्पष्ट नाम** | **हस्ताक्षर** | | **तारीख** |
| **जिले द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीख:** | | **प्राप्तकर्ता/अनुमोदनकर्ता:** | |